संख्या- 43/2515 ई-2/तेरह-2014-67/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 16 दिसम्बर,2014

विषय:-द्वारिकेश समूह की चीनी मिलों में उपलब्ध आरक्षित शीरे को फ्री सेल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-61/दस-शीरा-189/फ्री सेल/2013-14, दिनांक 30 सितम्बर,2014, पत्र संख्या-जी-66/दस-शीरा-189/फ्री सेल/2013-14, दिनांक 14 अक्टूबर,2014 तथा पत्र संख्या-जी-86/दस-शीरा-185/फ्री सेल/2014-15, दिनांक 06 दिसम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06 दिसम्बर,2014 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त गन्ना किसानों के हितों के दृष्टिगत, प्रभावी शीरा नीति वर्ष 2013-14 के प्रस्तर-2(14) में निहित व्यवस्था के आलोक में द्वारिकेश समूह की चीनी मिल में उपलब्ध कुल 1,46,168 कुण्टल (द्वारिकेश नगर, (बुन्दकी) बिजनौर में आरक्षित शीरे की मात्रा 31,050 कु0, द्वारिकेशपुरम् (अफजलगढ) बिजनौर में आरक्षित शीरे की मात्रा 51,550 कुण्टल तथा द्वारिकेशधाम (फरीदपुर) बरेली में आरक्षित शीरे की मात्रा 63,568 कुण्टल अर्थात् कुल 1,46,168 कुण्टल) को इस प्रतिबन्ध के साथ फ्री सेल में परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उक्त मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2014-15 के उत्पादित शीरे से द्वारिकेश समूह की चीनी मिलें करेंगी तथा यह मात्रा शीरा सत्र 2014-15 हेतु निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप प्राप्त होने वाली आरक्षित शीरे की मात्रा के अतिरिक्त होगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( सुनील कुमार पाण्डेय )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/govintra